



प्रेस नोट

थाना बिनौली

दिनांक 01.07.2022

दहेज हत्या के आरोपी अनिल को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 08 साल का कठोर कारावास व 4000/ रूपये अर्थदण्ड की सजा ।

कार्यवाही –

अवगत कराना है कि अभियुक्त अनिल पुत्र चन्द्रपाल निवासी बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2015 में दहेज हत्या की घटना कारित की गयी थी । जिसके सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0- 53/2015 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेद अधिनियम पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 01.07.2022 को माननीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय सं0-1 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त अनिल को दोषी पाते हुए धारा 498ए भादवि में 02 वर्ष का कारावास व 2000/रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 304बी में 08 वर्ष का कठोर कारावास व 1000/रूपये के अर्थदण्ड तथा 3/4 दहेज प्रतिषेद अधिनियम में 01 वर्ष का कठोर कारावास व 1000/रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता-

1- अनिल पुत्र चन्द्रपाल निवासी बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

प्रेस नोट
थाना बालैनी

दिनांक 01.07-2022

थाना बालैनी पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1-रामकिशन पुत्र खचेडू निवासी ग्राम नवादा थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री राहुल प्रताप सिंह ।
- 2- का0 884 सर्जन सिंह ।

प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 01-07-2022

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 584/22 धारा 323/504/506/332/353/427 भादवि से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.06.2022 को थाना बडौत पर वादी श्री देवेन्द्र सिंह प्रधानाध्यापक प्रार्थमिक विधालय ग्राम कौताना ने सूचना दी कि मौहसीन पुत्र लीला निवासी ग्राम कौताना थाना बडौत



अपनी लडकी (उम्र 06 वर्ष) को लेकर प्रार्थमिक विधालय 01 कौताना में एडमीशन कराने आये, एडमीशन को लेकर 1.मौहसीन पुत्र लीला, 2.राशिद पुत्र मकसुद, 3.नदीम पुत्र मुकीद, 4.आमीर पुत्र मुकीद ने प्रधानाध्यापक व स्टाफ के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की व जान से मारने की धमकी देते हुए प्रार्थमिक विधालय के फर्नीचर को तोड़ दिया तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 584/22 धारा 323/504/506/332/353/427 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 584/22 धारा 323/504/506/332/353/427 भादवि से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-राशिद पुत्र मकसुद निवासी ग्राम कौताना थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2.नदीम पुत्र मुकीद निवासी ग्राम कौताना थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3.आमीर पुत्र मुकीद निवासी ग्राम कौताना थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0- श्री श्याम सिंह थाना बडौत।
- 2-है0का0 348 ज्ञानेन्द्र सिंह थाना बडौत।
- 3-है0का0 414 मानसिंह थाना बडौत।
- 4-का0 257 बलजीत सिंह थाना बडौत।

थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

1. फैज मौहम्मद काजी पुत्र अफसर निवासी रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत ।
2. चम्पो पुत्र कल्लू निवासी पट्टी मुण्डाला कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।
3. सहेन्द्र पुत्र राजसिंह निवासी मौ0 पट्टी मुण्डाला कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री विकुल कुमार ।
2. उ0नि0 श्री वृक्षपाल सिंह ।
3. है0का0 53 रविन्द्र कुमार ।
4. का0 447 पंकज कुमार ।

थाना बालैनी पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1-रामरिख पुत्र रतनलाल निवासी ग्राम हरियाखेडा
थाना बालैनी जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ०नि० श्री धनवीर सिंह ।
- 2- हो०गा० 777 गजेन्द्र ।



ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 127/22 धारा 363 भादवि से संबंधित अपहृता को सकुशल बरामद किया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 127/22 धारा 363 भादवि से संबंधित अपहृता को सकुशल बरामद किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि०- श्री आरिफ अब्बास ।
- 2-म०का०- 870 मनीषा पंवार ।

थाना बिनौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से 45 पच्चा अवैध देशी शराब बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 45 पच्चा अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- राहुल उर्फ छंगा पुत्र मेहते सिंह निवासी ग्राम धनौरा सिल्वरनगर थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 45 पच्चा अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री रक्षपाल सिंह ।
- 2-उ0नि0/यूटी श्री शिवकुमार ।
- 3- का0 111 रिकनपाल ।